

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 209**] No. 209] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ज्येष्ठ 11, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/JYAISTHA 11, 1940

## भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड

## अधिसूचना

मुम्बई, 31 मई, 2018

## भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

## [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018

- सं. सेबी/एल. ए. डी.-एन. आर. ओ./जी. एन./2018/21.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्, -
- 1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
- 2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में, -
  - I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ढ) के पश्चात् और खंड (ण) से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

3092 GI/2018 (1)

- "(ढक) "दिवाला संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) [2016 की 31] अभिप्रेत है;"
- II. विनियम 15 में, उप-विनियम (2) के पश्चात् और उप-विनियम (3) से पूर्व, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्, -
  - "(2क) विनियम 17 में यथा निर्धारित प्रावधान उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की बाबत दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान लागू नहीं होंगे, जो दिवाला संहिता के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही हो :

परंतु यह कि विनियम 17 के अधीन यथा निर्धारित निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड / बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ दिवाला संहिता की धारा 17 और धारा 23 के अनुसार अंतरिम समाधान विशेषज्ञ (इंटरिम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) या समाधान विशेषज्ञ (रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) द्वारा निभाई और पूरी की जाएँगी ।

(2ख) विनियम 18, 19, 20 और 21 में यथा निर्धारित प्रावधान उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की बाबत दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान लागू नहीं होंगे, जो दिवाला संहिता के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही हो :

परंतु यह कि संबंधित विनियमों में जिन समितियों का उल्लेख है, उनकी भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ अंतरिम समाधान विशेषज्ञ (इंटरिम रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) या समाधान विशेषज्ञ (रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) द्वारा निभाई और पूरी की जाएँगी ।"

- III. विनियम 23 में, उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -
  - "परंतु यह कि इस उप-विनियम के अधीन निर्धारित अपेक्षाएँ दिवाला संहिता की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) के संबंध में लागू नहीं होंगी, बशर्ते कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को समाधान योजना के अनुमोदित होने से एक दिन के भीतर वह तथ्य प्रकट (डिस्क्लोज़) कर दिया जाए।"
- IV. विनियम 24 में, उप-विनियम (5) में, शब्दों "के अधीन किया गया हो" के पश्चात् और चिह्न "।" से पूर्व, निम्नलिखित चिह्न, शब्द तथा अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-
  - ", या दिवाला संहिता की धारा 31 के अधीन विधिवत रूप से अनुमोदित समाधान योजना के अधीन किया गया हो और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को समाधान योजना के अनुमोदित होने से एक दिन के भीतर वह तथ्य प्रकट (डिस्क्लोज़) किया गया हो"
- V. विनियम 24 में, उप-विनियम (6) में, शब्दों "के अधीन न किया गया हो" के पश्चात् और चिह्न "⊦" से पूर्व, निम्नलिखित चिह्न, शब्द तथा अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-
  - ", या दिवाला संहिता की धारा 31 के अधीन विधिवत रूप से अनुमोदित समाधान योजना के अधीन न किया गया हो और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को समाधान योजना के अनुमोदित होने से एक दिन के भीतर वह तथ्य प्रकट (डिस्क्लोज़) न किया गया हो"
- VI. विनियम 31क में, उप-विनियम (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -
  - "(9) यदि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के मौजूदा संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) का पुनःवर्गीकरण दिवाला संहिता की धारा 31 के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अनुरूप हो, तो इस विनियम के

उप-विनियम (5), उप-विनियम (6) और उप-विनियम (7) के खंड (ख) के प्रावधान, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, लागू नहीं होंगे :

- (i) पुन:वर्गीकरण चाहने वाले मौजूदा संप्रवर्तक (प्रोमोटर) और संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) के हाथों में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी का नियंत्रण न रहे; और
- (ii) ऐसे पुनःवर्गीकरण को उसके तर्काधार के साथ स्टॉक एक्सचेंजों को समाधान योजना के अनुमोदित होने से एक दिन के भीतर प्रकट (डिस्क्लोज़) कर दिया जाए।"
- VII. विनियम 37 में, उप-विनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -
  - "(7) इस विनियम के अधीन और इन विनियमों के विनियम 94 के अधीन यथा निर्धारित अपेक्षाएँ दिवाला संहिता की धारा 31 के अधीन अधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा समाधान योजना के भागस्वरूप अनुमोदित पुनर्संरचना (रीस्ट्रक्चिरंग) के प्रस्ताव पर लागू नहीं होंगी, बशर्ते कि ब्यौरे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को समाधान योजना के अनुमोदित होने से एक दिन के भीतर प्रकट (डिस्क्लोज़) कर दिए जाएँ।"
- VIII. अनुसूची-III में, भाग-क में, खंड क में, उप-खंड 15 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात. -
  - "16. दिवाला संहिता के अधीन सूचीबद्ध (लिस्टिड) कारपोरेट देनदार (ऋणी) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से संबंधित निम्नलिखित घटनाएँ:
    - क) कारपोरेट आवेदक द्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन दाखिल करना, और साथ ही चूक (डिफॉल्ट) की रकम का भी उल्लेख किया जाए;
    - ख) वित्तीय लेनदारों द्वारा कारपोरेट देनदार (ऋणी) के खिलाफ कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन दाखिल करना, और साथ ही चूक की रकम का भी उल्लेख किया जाए;
    - ग) अधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा आवेदन स्वीकार करना (या आवेदन अस्वीकार करना / आवेदन वापस ले लिया जाना, जो भी लागू हो), और साथ ही चूक की रकम का भी उल्लेख किया जाए;
    - घ) दिवाला संहिता की धारा 13 के अधीन, अधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुसरण में, की गई सार्वजनिक घोषणा;
    - ङ) लेनदारों की सूची, जिसे कारपोरेट देनदार (ऋणी) द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 13(2)(ग) के अधीन प्रदर्शित करना अपेक्षित है;
    - च) समाधान विशेषज्ञ (रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) की नियुक्ति / को बदलना (का रिप्लेसमेंट);
    - छ) लेनदारों की समिति की बैठकों की सूचना (बैठक से पूर्व अथवा बैठक के पश्चात्);
    - ज) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 36क(5) के अधीन निर्धारित किए गए फॉर्म में दिवाला संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान योजनाओं (रेज़ोल्यूशन प्लान) के आमंत्रण के संक्षिप्त विवरण;
    - झ) समाधान विशेषज्ञ (रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) को मिली समाधान योजनाओं (रेज़ोल्यूशन प्लान) की संख्या;
    - ञ) अधिकरण (ट्रायब्युनल) के पास समाधान योजना दाखिल करना;
    - ट) अधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा समाधान योजना के संबंध में अनुमोदन (या उसकी अस्वीकृति, यदि लागू हो);
    - ठ) अधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की मुख्य बातों (जिनमें व्यवसाय संबंधी गोपनीय जानकारी शामिल नहीं हैं) का उल्लेख यथा निर्धारित फॉर्म में किया जाए;

ड) कोई अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी (जिसमें व्यवसाय संबंधी गोपनीय जानकारी शामिल नहीं हैं) ।" अजय त्यागी, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/Exty./84/18]

#### पाद टिप्पण :

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. *सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013*, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :
  - क. 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
  - ख. 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
  - ग. 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दुसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसुचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
  - घ. 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
  - ङ. 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ| (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा
  - च. 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा
  - छ. 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा
  - ज. 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 31st May, 2018

# SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2018

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.**—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Securities and Exchange Board of India hereby makes

the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely,-

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
  - I. in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (n) and before clause (o), the following clause shall be inserted, namely, -
    - "(na) "Insolvency Code" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 [No. 31 of 2016]"
  - II. in regulation 15, after sub-regulation (2) and before sub-regulation (3), the following sub-regulations shall be inserted, namely,-
    - "(2A) The provisions as specified in regulation 17 shall not be applicable during the insolvency resolution process period in respect of a listed entity which is undergoing corporate insolvency resolution process under the Insolvency Code:

Provided that the role and responsibilities of the board of directors as specified under regulation 17 shall be fulfilled by the interim resolution professional or resolution professional in accordance with sections 17 and 23 of the Insolvency Code.

(2B) The provisions as specified in regulations 18, 19, 20 and 21 shall not be applicable during the insolvency resolution process period in respect of a listed entity which is undergoing corporate insolvency resolution process under the Insolvency Code:

Provided that the roles and responsibilities of the committees specified in the respective regulations shall be fulfilled by the interim resolution professional or resolution professional."

III. in regulation 23, in sub-regulation (4), the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that the requirements specified under this sub-regulation shall not apply in respect of a resolution plan approved under section 31 of the Insolvency Code, subject to the event being disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved;"

- IV. in regulation 24, in sub-regulation (5), after the word, "court/Tribunal" and before the symbol ".", the following words shall be added, namely,-
  - ", or under a resolution plan duly approved under section 31 of the Insolvency Code and such an event is disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved"
- V. in regulation 24, in sub-regulation (6), after the word, "court/Tribunal" and before the symbol ".", the following words shall be added, namely,-
  - ", or under a resolution plan duly approved under section 31 of the Insolvency Code and such an event is disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved"
- VI. in regulation 31A, after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be inserted, namely,
  - "(9) The provisions of sub-regulations (5), (6) and clause (b) of sub regulation (7) of this regulation shall not apply, if re-classification of existing promoter or promoter group of the listed entity is as per the resolution plan approved under section 31 of the Insolvency Code, subject to the following conditions:

- (i) the existing promoter and promoter group seeking re-classification shall not remain in control of the listed entity; and
- (ii) such re-classification along with the underlying rationale shall be disclosed to the stock exchanges within one day of the resolution plan being approved."
- VII. in regulation 37, after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-
  - "(7) The requirements as specified under this regulation and under regulation 94 of these regulations shall not apply to a restructuring proposal approved as part of a resolution plan by the Tribunal under section 31 of the Insolvency Code, subject to the details being disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved."
- VIII. in schedule III, in part A, in clause A, after sub-clause 15, the following sub-clause shall be inserted, namely,-
  - "16. The following events in relation to the corporate insolvency resolution process (CIRP) of a listed corporate debtor under the Insolvency Code:
    - a) Filing of application by the corporate applicant for initiation of CIRP, also specifying the amount of default;
    - b) Filing of application by financial creditors for initiation of CIRP against the corporate debtor, also specifying the amount of default;
    - c) Admission of application by the Tribunal, along with amount of default or rejection or withdrawal, as applicable;
    - d) Public announcement made pursuant to order passed by the Tribunal under section 13 of Insolvency Code;
    - e) List of creditors as required to be displayed by the corporate debtor under regulation 13(2)(c) of the IBBI (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016:
    - f) Appointment/Replacement of the Resolution Professional;
    - g) Prior or post-facto intimation of the meetings of Committee of Creditors;
    - h) Brief particulars of invitation of resolution plans under section 25(2)(h) of Insolvency Code in the Form specified under regulation 36A(5) of the IBBI (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016;
    - i) Number of resolution plans received by Resolution Professional;
    - j) Filing of resolution plan with the Tribunal;
    - k) Approval of resolution plan by the Tribunal or rejection, if applicable;
    - Salient features, not involving commercial secrets, of the resolution plan approved by the Tribunal, in such form as may be specified;
    - m) Any other material information not involving commercial secrets."

AJAY TYAGI, CHAIRMAN [ADVT.-III/4/Exty./84/18]

#### Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India on September 02, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.

- The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 was subsequently amended –
  - a. December 22, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
  - b. May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/001.
  - c. July 08, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.
  - d. January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.
  - e. February 15, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.
  - f. March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
  - g. May 9, 2018 by the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
  - h. May 30, 2018 by the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.